न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–154/2013

CIS NO. TS 431/2018

मधुसुदन दूबे एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मुरलीधर चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
30.10.2025	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.09.2019 पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.09.2019 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी साक्षी सं0–01 मधुसुदन दूबे का शपथ–पत्र पर ब्यान दिनांक 25.01.2016 को हुआ और साक्षी के द्वारा मौजा–मुसहरवा का हाल सर्वे खतियान खाता सं0–136 की सच्ची प्रतिलिपी को प्रदर्श–1, बंटवारा वाद सं0–133/1968 में रामाकान्त चौबे का दाखिल ब्यान–तहरीरी की सच्ची प्रतिलिपी को प्रदर्श–2, निबंधित बंटवारा दस्तावेज दिनांक 28.06.2004 की सच्ची प्रतिलिपी को प्रदर्श–3 और बंटवारा वाद सं0–133/1968 में पारित निर्णय को प्रदर्श–4 अंकित करने का निवेदन किया, जिस आलोक में आदेश पत्र दिनांक 25.01.2016 में कागजात को प्रदर्श अंकित करने का आदेश हो गया लेकिन कागजात पर पीठ लिपीक द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सका। आदेश दिनांक 25.01.2016 के आलोक में उपर वर्णित कागजातों पर प्रदर्श चिन्ह अंकित नहीं हुआ है, जिसका कारण उस कागजात की सच्ची प्रतिलिपी वादी को प्राप्त नहीं हो पा रही है। वादी उपरोक्त कागजात की सच्ची प्रतिलिपी प्राप्त कर पुनः उस जगह पर प्रतिस्थापित करके मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करना है क्योंकि मूल दस्तावेज की आवश्यकता वादी को है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश पत्र दिनांक 25.01.2016 में वर्णित कागजात को प्रदर्श चिन्हित करने हेतु पीठ लिपीक को निर्देश देने की कृपा प्रदान करें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आवेदन दिनांक 06.09.2019 का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया।	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–154/2013</u>

<u>CIS NO. TS 431/2018</u>

मधुसुदन दूबे एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मुरलीधर चौबे एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 30.10.2025	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख उपस्थित हेतु नियत है। वादीगण अपने आवेदन में निवेदन करते है कि आदेश पत्र दिनांक 25.01.2016 में वर्णित कागजात को प्रदर्श चिन्हित करने हेतु पीठ लिपीक को निर्देश दिया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 06.09.2019 को मो0–500 रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए आदेश पत्र दिनांक 25.01.2016 में वर्णित कागजात को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 04.12.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	